

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 770/238/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:- **प्राणीशास्त्र** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **प्रवर श्रेणी वेतनमान** में स्थानन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार **प्राणीशास्त्र** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **प्रवर श्रेणी वेतनमान** वेतनमान रुपये **3700-5700/12000-420-18300** में स्थानन किया जाता है:-

विषय – प्राणीशास्त्र

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
01	3210025	डॉ. आबिदा शमीम	प्राणीशास्त्र	शा. एमएलबी कन्या महा., किला भवन, इन्दौर	24.12.07
02	3210180	श्रीमती मंजुला पोरस	प्राणीशास्त्र	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	09.10.03
03	3210265	डॉ. राजीव कुमार तिवारी	प्राणीशास्त्र	शा. पीजी महा., सतना	24.12.07
04	3210280	डॉ. आर.एस. सिकरवार	प्राणीशास्त्र	शा. पीजी महा., बड़वानी	1.04.2000
05	3210299	श्रीमती रूचिरा चौधरी	प्राणीशास्त्र	शा. मोतीलाल विज्ञान महा., भोपाल	24.12.07
06	3210228	श्री प्रमोद कुमार पलाश्या	प्राणीशास्त्र	शा.पीजी महा., देवास	04.10.03
07	3210134	श्री कौशलेन्द्र कुमार	प्राणीशास्त्र	शा. पीजी महा., शहडोल	01.04.08

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व **प्रवर** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये **3700-5700** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें ।

3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

पृ.क्र. 771/238/आउशि/गो.प्र./09,

प्रतिलिपि:-

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 768/238/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:— **प्राणीशास्त्र** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **प्रवर श्रेणी वेतनमान** में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:— उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

शासन के आदेशानुसार **प्राणीशास्त्र** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **प्रवर श्रेणी वेतनमान** रुपये **3700-5700/12000-420-18300** में स्थानन तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय – प्राणीशास्त्र

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
01	3210080	डॉ. दिनेश कुमार शर्मा, प्राणीशास्त्र, शा. महा., शिवपुरी	13.12.05	18.10.04
02	3210175	श्रीमती मनीषा देशपाण्डे, प्राणीशास्त्र, शा. पीजी महा., मुरार	09.02.05	18.10.04
03	3210194	डॉ. मुकेश दीक्षित, प्राणीशास्त्र, शा. केआरजी महा., ग्वालियर वर्तमान में व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर	21.01.05	9.10.04

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:—

1—जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व **प्रवर** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये **3700-5700** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

2— यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

//2//

3-यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 769/238/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 772/238/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:— **प्राणीशास्त्र** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान** में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:— उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

—0—

शासन के आदेशानुसार **प्राणीशास्त्र** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान** रुपये **3000-5000/10000-15200** में स्थानन की तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय – प्राणीशास्त्र

वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में संशोधन हेतु मान्य प्रकरण

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
3.	3210228	श्री प्रमोद कुमार पलाश्या, प्राणीशास्त्र, शा.पीजी महा., देवास	04.10.99	04.10.98

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:—

- 1— जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व **वरिष्ठ** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये **3000-5000** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
- 2— यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

//2//

3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 773/238/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश